

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1606
दिनांक 13 फरवरी, 2025

पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन

1606. श्री बाबू सिंह कुशवाहा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत प्रदान किए गए एलपीजी कनेक्शनों की प्रभावशीलता का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;
- (ग) क्या सरकार द्वारा पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने उन लाभार्थियों के आंकड़े एकत्र किए हैं जो वित्तीय कारणों से सिलेंडर को पुनःभरवाने में सक्षम नहीं हैं;
- (ङ.) यदि हां, तो ऐसे परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) देश में एलपीजी वितरण प्रणाली को और दक्ष बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे नए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च): पूरे देश में गरीब परिवारों की ब्यस्क महिला सदस्यों के नाम से बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई थी। पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों की ब्यस्क महिला सदस्यों के नाम पर जारी किए जाते हैं बशर्ते परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो और अन्य नियम व शर्तें पूरी हों। पीएमयूवाई के अंतर्गत 8 करोड़ कनेक्शनों को जारी करने के लक्ष्य को सितंबर, 2019 में हासिल

कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्जवला 2.0 को अगस्त, 2021 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शनों को जारी करना था जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात, सरकार ने उज्जवला 2.0 के तहत 60 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया और दिसंबर, 2022 के दौरान उज्जवला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने का अनुमोदन दे दिया था जिसे जुलाई, 2024 के दौरान हासिल कर लिया गया है। दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत कई कारकों जैसे कि भोजन की आदतें, परिवार का आकार, खाना पकाने की आदतें, परंपरा, स्वाद, पसंद, मूल्य और वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के सतत प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक मूल्यांकन) 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की। अक्टूबर, 2023 में, सरकार ने अधिकतम प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक मूल्यांकन) 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता बढ़ा दी है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए/सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता के पश्चात, भारत सरकार 503 रुपये प्रति सिलिंडर (दिल्ली में) की प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर प्रदान कर रही है। यह देशभर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्जवला लाभार्थियों को उपलब्ध है। पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कवरेज को विस्तारित करने के लिए कोई भावी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

सरकार ने दिनांक 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य को 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर कम कर दिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिनांक 9 मार्च, 2024 से प्रभावी घरेलू एलपीजी का आरएसपी 100 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर कम कर दिया। दिल्ली में घरेलू एलपीजी का वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य 803 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर है।

पीएमयूवाई की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक, सरकार 1600 रुपए प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए सिलिंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और इंस्टालेशन प्रभार के संबंध में खर्च वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से, 14.2 कि.ग्रा. एकल बॉटल कनेक्शन/5 कि.ग्रा. डबल

बॉटल कनेक्शन के लिए 2200 रुपए प्रति कनेक्शन और 5 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1300 रुपए प्रति कनेक्शन के लिए इस खर्च को बढ़ा दिया है।

देश भर में एलपीजी तक पहुँच को समुन्नत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ पीएमयूवाई को प्रोत्साहित करने के निमित्त अभियान चलाना, कनेक्शनों का नामांकन और वितरित करने के निमित्त मेला/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंगों, रेडियो जिंगलों, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैनो आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना, अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के निमित्त आधार नामांकन और बैंक खाता खोलने के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों की सुविधा प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, www.pmu.gov.in पर पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, निकटतम एलपीजी वितरक, जन सहायता केन्द्र (सीएससी) इत्यादि, 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर में अदला-बदली का विकल्प और प्रवासी परिवारों के लिए निवास प्रमाण और राशन कार्ड के बजाय स्व-घोषणा के आधार पर नया कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज लगातार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कमिशनिंग कर रही है। पीएमयूवाई स्कीम की शुरुआत से, ओएमसीज ने देशभर में 7944 डिस्ट्रीब्यूटरशिप (01.04.2016 से 31.10.2024 के दौरान कमीशन की गई) कमीशन की है, जिनमें से 7361 (अर्थात् 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू एलपीजी के लगातार बढ़ता उपभोग ग्रामीण परिवारों द्वारा एलपीजी को व्यापक रूप से अपनाए जाने का संकेतक है। पीएमयूवाई परिवारों का प्रति व्यक्ति उपभोग वर्ष 2019-20 में 3.01 रिफिल (14.2 कि.ग्रा. घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के संदर्भ में) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.95 और वर्ष 2024-25 में दिसंबर, 2024 तक और बढ़कर 4.40 (वार्षिक आधार) पर हो गया है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चला है कि पीएमयूवाई योजना ने ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं और परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कुछ प्रमुख लाभों का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है

(i) पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों में बदलाव आया है जिसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेषों जैसे ठोस पदार्थों को जलाना शामिल है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी आई है। इससे श्वसन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, खासकर महिलाओं और बच्चों में जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएं के संपर्क में अधिक आते हैं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, खास तौर पर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले परिवार, अक्सर अपने समय और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन को इकट्ठा करने में खर्च करते हैं। एलपीजी ने गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए खाना पकाने में लगने वाले समय और मेहनत को कम किया है। इस प्रकार, उनके पास उपलब्ध खाली समय का उपयोग आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में किया जा सकता है।

(iii) बायोमास और पारंपरिक ईंधन से एलपीजी पर परिवर्तन करने से खाना पकाने के लिए लकड़ी और अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण में कमी आती है। इससे न केवल परिवारों को लाभ होता है बल्कि व्यापक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में भी योगदान मिलता है

(iv) बेहतर खाना पकाने की सुविधाओं के साथ, पोषण पर संभावित सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन पकाना आसान लग सकता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है।
